भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 753

04 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

असम में पीडीएस

753. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) असम में वर्तमान में कितनी उचित मूल्य की दुकानें चल रही हैं;

(ग) क्या इन दुकानों के कार्यकरण में किन्हीं अनियमितताओं की सूचना मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): जी हाँ, सरकार ने असम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कार्यकरण की समीक्षा की है।

(ख): राज्य में चालू उचित दर दुकानों (एफपीएस) की कुल संख्या (जनवरी, 2026 तक) 33,014 है।

(ग): और (घ) असम राज्य सरकार ने उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कार्यकरण में किसी भी अनियमिता की रिपोर्ट नहीं दी है। पारदर्शिता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्यान्न केवल सत्यापित लाभार्थियों तक ही पहुँचे, सभी उचित दर दुकानें (एफपीएस) ई-पीओएस मशीनों से सुसज्जित हैं। ये उपकरण किसी भी प्रकार के वितरण से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से लाभार्थियों को प्रमाणित करते हैं। जो भी स्टॉक अवितरित रह जाता है, उसे अगले महीने के लिए अंतिम शेष के तौर पर आगे ले जाया जाता है। आवंटन और वितरण दोनों ऑनलाइन प्रक्रिया से होते हैं जिससे मैनुअल या ऑफलाइन सुपुर्दगी की संभावना खत्म हो जाती है जिससे उचित दर दुकानों (एफपीएस) द्वारा आवंटित किए गए अनाज का दुरुपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। स्मार्ट-पीडीएस पोर्टल इस पूरी प्रक्रिया को एकीकृत आधार सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (आईएईएससीएम) के माध्यम से ऑनलाइन सृजित आवंटन और आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एईपीडीएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिकॉर्ड की गई सुपुर्दगी में सहायता करता है। समस्त संगत सूचना संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध है।
